न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 04 / 17 वर्ष 2017

जीसीएम संख्या :–2017 / 00095

बउनवानी:– 1. श्रीमति लल्ली देवी उर्फ मूलबाई पत्नि श्री श्रवण कुमार जैन, निवासी ग्राम लाखनपुर तह बौंली

बनाम

1. ग्राम पंचायत लाखनपुर जरिये सरपंच ,ग्रा.प.लाखनपुर प.सं. व तहसील बौंली
2. ग्राम पंचायत लाखनपुर जरिये सरपंच ,ग्रा.प.लाखनपुर प.सं. व तहसील बौंली
3. रामानन्द गुर्जर पुत्र भैरू लाल गुर्जर निवासी खोहरी पंचायत समिति बौंली
4. शंकर गुर्जर पुत्र भैरू लाल गुर्जर निवासी खोहरी पंचायत समिति बौंली

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 60 दिनांक 5.6.2004 मिसल संख्या 20 फैसला दिनांक 5.6.2004 द्वारा ग्राम पंचायत लाखनपुर पंचायत समिति बौंली जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री आशीष जैन वकील प्रार्थी

2. श्री कमलेश कुमार गुर्जर वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 07.12..2021

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत लाखनपुर पं0सं0 बौंली के द्वारा जारी पटटा संख्या 60 दिनांक 5.6.2004 मि. संख्या 20 फैसला दिनांक 5.6.2004 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रार्थीया की आराजी ख0न0 925 व 926 वाके ग्राम लाखनुपर व इसके आगे स्थित आम रास्ता का इस पटटे के आड मे उपयोग करना चाहते है। उक्त आराजी के सहारे आम रास्ता सड़क पडती है जिसमे प्रार्थी के पूर्वजो के जमाने से प्रार्थी का आवागमन है अन्य पडौसी भी इसी रास्ते से आवागमन करते है किन्तु उक्त विवादित पटटे की आड में अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य आरम्भ किया है। जिससे आम रास्ता अवरूद्व हो गया है जबकि प्रश्नगत पटटे में यह शर्त दर्ज है कि रास्ते की भूमि पर किसी कदर कोई हस्तक्षेप नही करेगें। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अपने पटटे की भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण कराया गया है जो अवैध है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटा जारी करने मे भूमि विक्रय संबंधी नियमों की अवहेलना की है तथा बिना आपत्ति नोटिस जारी किये, बिना मौका रिपोर्ट तलब किये चुपचाप कपट पूर्वक भूमि बेचकर निर्णय पटटा जारी भारी कानूनी भूल की गयी है। तथा पटटे की मूल पत्रावली भी पंचायत मे उपलब्ध नही है तथा ग्राम [illegible] द्वारा यह भी नही देखा कि जिस भूमि का पटटा जारी कर रहे है वह भूमि ग्राम पंचायत [illegible] भी है या नही ? मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.3.2020 मे भी उक्त पटटा ख0न0 [illegible] किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर होना बताया गया है। जिससे [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा आम रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार नही [illegible] कारण उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

: विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष मे जारी पटटा सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करते हुए विधिवत बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा जा ख0न0 925 व 926 को अपना बताया गया है किन्तु जमाबन्दी एवं नक्शाट्रेस पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उसके कथन की पुष्टि हो सके। आपत्ति नोटिस जारी किया गया तथा पटवारी द्वारा दिनांक 11.3.2020 की मौका रिपोर्ट हम अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे बनायी गयी है। प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित नही किया कि आम रास्ते पर कितनी सीमा तक पटटा जारी किये है । जिस स्थान का ग्राम पंचायत द्वारा हमको पटटा दिया गया उसी स्थान पर हमारे द्वारा वर्ष 2004 मे मकान बना लिया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा हम अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष मे जारी पटटा विधिसम्मत होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी के पक्ष मे मिसल संख्या 20 पर जारी पटटा संख्या 60 दिनांक 5.6.2004 की पत्रावली ग्राम पंचायत लाखनपुर में बरामद नही हुई है केवल मूल पटटा एवं रोकड बही की प्रमाणित छायाप्रति ही न्यायालय को भिजवायी गयी है जिसमे 1715/–रू जमा होना पाया गया है। उक्त पटटा जारी करते समय सम्पादित अन्य कार्यवाही का अवलोकन नही किया जा सका। तथा पटटे मे केवल सीमाऐ अंकित है ख0न0अंकित नही किया है जिससे यह भी स्पष्ट नही होता है कि पटटे की भूमि अन्य किस ख0न के समीप स्थित है किन्तु उक्त विवादित पटटे से संबंधित भूखण्ड के संबंध मे तहसीलदार बौंली से तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.3.2020 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष मे जारी उक्त पटटा संख्या 60 ग्राम खोहरी के खसरा नम्बर 530 रकबा 0.42 है0 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। यद्यपि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अप्रार्थी के मकान के सामने सी.सी. सड़क बनी हुई है जो मौके पर चालू है। उक्त ख0न0 ग्राम खोहरी की आबादी से सटा हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा गै.मु. रास्ते की भूमि पर जारी किया जाना प्रतीत होता है तथा ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि पर पटटा दिये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत लाखनपुर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर निगरानी पटटा संख्या 60 दिनांक 5.6.2004 जारी किया है जो विधिसम्मत नही होने के कारण निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी पटटा संख्या 60 दिनांक 5.6.2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत लाखनपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पुनः जॉचकर आपत्तियॉ आमंत्रित करें [illegible] प्रार्थीगण का पक्ष सुनकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर मेरिट पर निर्णय पारित कर पुनः संशोधित पटटा जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:35 IST
Reason: SelfAttested